न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/12/2022

उनवान

1. प्रेमलता पत्नि श्यामलाल सेन निवासी बागौर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा। अपीलार्थीगण

बनाम

1. भगवती देवी पत्नि बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी बागौर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाड़ा रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 156/2019 निर्णय दिनांक 27.02.2020

अभिभाषक : **1. श्री मांगीलाल सेन , अधिवक्ता अपीलार्थीगण**
2. श्री रतनलाल जाट, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

आदेश

दिनांक 18.03.2025

1. **अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कि प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार की कृषि आराजी नम्बर 1555 पन्द्रह सो पच्चपन रकबा 02 दो बीघा 13 तैरह बिस्वा में आने–जाने हेतू विपक्षी संख्या 01 एक की आराजी नम्बर 1554 पन्द्रह सो चोपन रकबा 02 दो बीघा 09 नो बिस्वा के उतरी मेंड के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर निकटतम रास्ता विधमान होकर आराजी नम्बर 1555 पन्द्रह सो पच्चपन रकबा 02 दो बीघा 13 तैरह बिस्वा प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि में प्रवेश करता है जो कि 12 फीट चौडाइ का रास्ता होकर मौके पर निकटतम रास्ता नही होकर एक मात्र रास्ता है इसके अलावा ओर कोई रास्ता नहीं है अत राजस्व रेकॉर्ड नक्क्षा मे रास्ता दर्ज किया जाने की प्रार्थना की गई प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया विपक्षीगण ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अस्वीकार**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कर प्रार्थना पत्र का खारीज करने की प्रार्थना की गई अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगाई गई तत्पश्चात दोनो पक्षों की बहस समायत की जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया द्वारा जो अनुतौष चाहा गया उसके विपरित अनुतौष प्रदान किया अर्थात प्रार्थीया ने रास्ता अपनी खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1555 पन्द्रह सो पच्चपन रकबा 02 दो बीघा 13 तेरह बिस्वा में आने–जाने हेतू रास्ता विपक्षी संख्या 01 एक की आराजी नम्बर 1554 पन्द्रह सो चोपन के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने की मांग की जो कि निकटतम रास्ता है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 1553 पन्द्रह सो तरेपन 1554 प्रन्द्रह सो चोपन के दक्षिण दिशा में नाला के सहारे सहारे रास्ता देने की स्वीकति प्रदान कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जोकि निकटतम रास्ता नहीं है व बरसात में नाला भरा रहता है जिससे रास्ता बंद रहता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय दिनांक 27.02.2020 को पारित किया गया उसके दौरान ही सम्पूर्ण भारत में कोविड–19 कोरोना महामारी के संक्रमण का प्रभाव था जिससे सम्पूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा होने से अपीलार्थीया अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर पायी थी जिससे उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2020 की पूर्व मे जानकारी नही हो पायी हाल ही में अपने अधिवक्ता से अक्टुबर माह में सम्पर्क किया तो अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण मे निर्णय हो जाना बताया गया है जिसे अपीलार्थीया की ओर से दिनांक 26.10.2021 को नकल का आवेदन प्रस्तुत कर निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 23.11.2021 को प्रमाणित प्रतिलिपीयां प्राप्त की इसलिए उक्त अपील को प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब दिनांक 26.03.2020 से 22.12.2021 तक का विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील को मियाद में शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आश्वयक व न्याय संगत है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

4. अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह युक्तियुक्त है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता यह निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरिक्षक के जरिए मौका की स्थिति कि रिपोर्ट दिनांक 29.11.2019 को तहसीलदार माण्डल के मार्फत प्रस्तुत हुई व दुसरी रिपोर्ट भी पुनः 18.03.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई प्रथम रिपोर्ट दिनांक 29.11.2019 को तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमे अपीलार्थीया प्रार्थीया द्वारा रास्ता आराजी नम्बर 1554 पन्द्रह सो चोपन के उत्तर दिशा में बताया गया किन्तु पटवारी हल्का ने आराजी नम्बर 1553 पन्द्रह से तरेपन, व 1554 पन्द्रह सो चोपन के दक्षिण दिशा में नाला के सहारे सहारे प्रस्तावित नक्क्षा बताया गया जो कि गलत होकर निकटतम रास्ता भी नहीं व बरसात के समय नाला पानी से भरा रहता है जिससे नाला के सहारे सहारे रास्ता खुल नहीं सकता है इसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुन एक रिपोर्ट मंगाई जो कि तहसीलदार द्वारा भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा तैयार की गई जिससे प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता व विपक्षी द्वारा वैकल्पिक रास्ता जहां देना चाहता है दोनो को नजरी नक्क्षा में दर्शाया है तथा नजरी नक्क्षा में लघुतम मार्ग आराजी नम्बर 1554 पन्द्रह सो चोपन में उतर दिशा में जहां प्रार्थीया चाहती है वहां पर दर्शाया है दोनो रिपोर्ट पत्रावली के रेकॉर्ड पर है इसके बावजुद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रेकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है केवल मात्र प्रथम रिपोर्ट को आधार मानते हुऐ विपक्षी संख्या 01 एक की भूमि आराजी नम्बर 1554 पन्द्रह सो चोपन में दक्षिण तरफ नाला के रास्ता मे रास्ता स्वीकृति का जो निर्णय प्रदान किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त होने लायक है अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त होने लायक है।

अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता यह निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर सम्पूर्ण रेकॉर्ड एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 29.11.2019 व 18.03.2020 भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

मंगाई गई जिनके अनुसार भी निकटतम व लघुतम रास्ता प्रार्थी की खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1555 पन्द्रह सो पच्चपन के दक्षिण की तरफ जो वैकल्पिक रास्ता बताया गया है उसके बाबत अपीलार्थीया का निवेदन है कि आराजी नम्बर 1555 पन्द्रह सो पच्चपन में दक्षिण दिशा का जो रास्ता है वह अपीलार्थीया की खातेदारी की आराजी नम्बर 1554 पन्द्रह सो चोपन से काफी दूर होकर निकटतम रास्ता नही है व मौके पर नाला होकर बरसात का पानी भरा रहता है जो कि सुगम व निकटतम रास्ता नहीं है इसके विपरित आराजी नम्बर 1555 पन्द्रह सो पच्चपन के उत्तर दिशा में स्थित रास्ता सुगम लघुतम निकटतम रास्ता है जो धारा 251 (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जानाआवश्यक व न्यायोचित था किन्तु अधिनत्य व्यायालय द्वारा असुगम दूर नाला मे रास्ता का जी आदेश का निर्णय पारित किया है जो कि धारा 251 (क) रा०टि०एक्ट में रास्ता स्वीकृति करने के प्रावधानों के विपरित निर्णय दिया है जो कि त्रुटिपूर्ण होकर अपास्त होने लायक है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता यह निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय को धारा 251 (क) रा०टि०एक्ट के तहत रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व प्रार्थीया अपीलार्थीया के प्रार्थना पत्र का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाने के पश्चात राजस्व रेकॉर्ड पटवारी हल्का से मंगाई गई मौका रिर्पोटो का अवलोकन करने के पश्चात ही विधिवत निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिर्पोटों का अवलोकन व विश्लेषण किये बिना ही मनमकसुद तरिके से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो कि अपास्त होने लायक है।

8. अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2020 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीया अपीलार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) में संशोधित निर्णय जारी फरमाया जावे कि अपीलार्थीया के खातेदारी की कृषि आराजी नम्बर 1555 पन्द्रह सो पच्चपन में आने जाने हेतू विपक्षी संख्या 01 एक की आराजी नम्बर 1554 पन्द्रह सो चोपन के उतरी दिशा मे से रास्ता दिया जाने की स्वीकृति प्रदान कराई जावें।

9. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी 1554 की उत्तरी सीमा से रास्ता मांगा गया। आराजी संख्या 1554 उत्तरी सीमा की ओर आगे रेस्पोडेन्ट की आसजी है जिसका एक चक बना रखा है। बीच से रास्ता देने पर भूमि दो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भागे मे विभाजित हो गई है। जो उचित नहीं है दक्षिणी सीमा पर भी 1554 मे हमारी आराजी से रास्ता दिया गया है व अपील खारीज करने का निवेदन किया है।

10. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय दिनांक 27.02.2020 को पारित किया गया उसके दौरान ही सम्पूर्ण भारत में कोविड–19 कोरोना महामारी के संक्रमण का प्रभाव था जिससे सम्पूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा होने से अपीलार्थीया अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर पायी थी जिससे उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2020 की पूर्व मे जानकारी नही हो पायी हाल ही में अपने अधिवक्ता से अक्टुबर माह में सम्पर्क किया तो अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण मे निर्णय हो जाना बताया गया है जिसे अपीलार्थीया की ओर से दिनांक 26.10.2021 को नकल का आवेदन प्रस्तुत कर निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 23.11.2021 को प्रमाणित प्रतिलिपीयां प्राप्त की इसलिए उक्त अपील को प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब दिनांक 26.03.2020 से 22. 12.2021 तक का विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील को मियाद में शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना आश्वयक व न्याय संगत है।

11. अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह युक्तियुक्त है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

12. प्रत्यर्थी की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब सेप्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन व मिलान किया गया । अधिनस्थ न्यायालय के राजस्व रेकार्ड का परिक्षण किया गया। रेकार्ड अनुसार प्रस्तावित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, नीलवाड़ा

रास्ता जो दिया गया है वह लघुत्तम नहीं है। लघुत्तम रास्ता आराजी संख्या 1554 की उत्तरी मेड़ से बनता है। जो राजस्व रेकार्ड व नक्शें अनुसार निकटत्तम बिन्दु है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 251 ए क अे मूल उद्देश्य अनुसार निकटता के बिन्दु का परिक्षण कर प्राप्त अनुरूप विधिसम्मत नहीं है। प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

आदेश

14. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है। व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2020 को अपास्त किया जाता है। व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड व नक्शे अनुसार पुनः परिक्षण किया जावे व दोनो पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट बनाकर राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम अन्तर्गत धारा 251 ए के उद्देश्य अनुसार निकटता के बिन्दु का परिक्षण कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विस्तृत विवेचन के साथ निर्णय पारित करे।

15. निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा